UPFR010022782026

Criminal Misc. Cases/1096/2026 Kampil

Mamta Vs. Ankit Rajput and others

न्यायालय विशेष न्यायाधीश द०प्र०क्षे०, तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– शैलेन्द्र सचान ––एच०जे०एस० J O Code No– UP 2406

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–1096/2026

ममता

प्रति

अंकित राजपूत आदि।

05.06.2026

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

संक्षेप में प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)BNSS के कथन इस प्रकार है कि दिनांक 16–05–2026 को समय करीव 1–0:30 बजे रात वह अपने घर पर दोनो लडकियां प्रिया व शोभा के साथ अकेली थी तभी गांव के अंकित राजपूत अपने हाथ में तलवार, सरवेन्द्र राजपूत अपने हाथ में चाकू व शिवगणेश अपने हाथ में तमंचा लिए हुए उसके घर में घुस आए और वादिनी को घेर लिया उसका मंगलसूत्र व चैन जबरन लूट ली चिल्लाने पर तीनो उसे कमरे में खीच ले गए तथा अंकित ने उसके साथ बुरा काम करने का प्रयास किया।वादिनी की पुत्रियों की आवाज सुनकर उसके पति व हेतराम व तमाम लोग आ गए कह गए कि रिपोर्ट की तो जान से मार देगें। वादिनी थाने गयी किन्तु रिपोर्ट नही लिखी गयी।

वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र,पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद,स्वंय के आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाने से आख्या आहूत की गयी।

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.06.05 16:13:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थाने से प्राप्त आख्या होकर पत्रावली में संलग्न है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

प्रार्थिनी ममता द्वारा सरवेन्द्र के हाथ में चाकू, अंकित के हाथ में तलवार व शिवगणेश के हाथ में तमंचा लेकर उसके घर में दिनांक 16–05–2026 को समय 10:30 बजे घुस कर उसका मंगलसूत्र व चेन जबरदस्ती लूट लिए जाने तथा उसके चिल्लाने पर तीनो विपक्षीगण द्वारा उसे कमरे में खीच कर ले गए और अंकित द्वारा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। थाने की रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका ममता के पति बुद्वप्रकाश , उसका बेटा चन्दन, पप्पू व रितिक का विवाद पुरानी बातों को लेकर विपक्षी अंकित की पत्नी सुनीता से हुआ था। सुनीता के चोटे आयी थी, उसके द्वारा अपना मेडिकल कराया गया था। सुनीता की तहरीर पर दिनांक 17–05–2026 को प्रार्थिनी के पति बुद्वप्रकाश, पुत्र चन्दन, पप्पू व रितिक के विरूद्व थाना में एन सी आर सं० 64/2026 अन्तर्गत धारा 115(2), 352 BNS पंजीकृत की गयी थी। थाने की रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने पति बुद्वप्रकाश व बेटे के विरूद्व एन सी आर पंजीकृत किए जाने की वजह से प्रार्थिनी द्वारा बढा चढा कर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। थाने की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दोनो पक्षों का चालान BNSS की धारा 126/135 के अन्तर्गत दिनांक 25–05–2026 को किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिनी ममता अथवा उसके घर के किसी सदस्य को चोट नही आयी है, न ही किसी के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षी अंकित की पत्नी सुनीता के साथ प्रार्थिनी ममता के पति बुद्वप्रकाश, बेटे चन्दन, पप्पू व रितिक द्वारा मारपीट की गयी थी जिसकी एन सी आर सुनीता द्वारा थाने में दर्ज करायी गयी थी। अपने पति व बेटे के विरूद्व एन सी आर दर्ज करने के कारण प्रार्थिनी द्वारा लूटपाट व बलात्कार की झूठे कथानक के आधार पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी ममता व उसके परिवार के किसी सदस्य को चोट नही आयी है। प्रार्थना पत्र में दर्शाए गए कथानक से किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध कारित किया जाना परिलक्षित नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 173(4) BNSS निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत 173(4)BNSS प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सचान)
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।